# न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

| | | |
|---|---|---|
| **पीठासीन अधिकारी** | – | **प्रहेलिका (आर.जे.एस.)** |
| **फौजदारी प्रकरण संख्या** | – | **297/2016** |
| **सी.आई.एस. संख्या** | – | **173/2016** |
| **सी.एन.आर. संख्या** | – | **RJHG140002482016** |

सुरेश कुमार पुत्र बालकिशन, निवासी वार्ड नं. 16 पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

–परिवादी

बनाम

नेहरू पुत्र कुनणाराम, निवासी पीलीबंगा गांव, पुलिस थाना पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

–अभियुक्त

**–:: अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 ::–**

उपस्थित:–

1– विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी व श्री महावीर अरोड़ा – परिवादी की ओर से।

2– विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मूण्ड – अभियुक्त की ओर से।

**–:: निर्णय ::–** **दिनांक : 13.08.2026**

1. हस्तगत प्रकरण परिवादी द्वारा दिनांक 22.01.2016 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2016 को उक्त आरोप का प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी की अभियुक्त के साथ अच्छी जान पहचान थी। अभियुक्त ने अपनी घरेलू हेतु करीब 3.5 माह पूर्व परिवादी से 9,50,000/– रूपये नगद ऋण के रूप में उधार लिये थे तथा परिवादी द्वारा उक्त ऋण का तकाजा करने पर अभियुक्त ने उक्त रूपये की अदायगी पेटे परिवादी को एक चैक नं. 091464 दिनांक 15.12.2015 को राशि 9,50,000/– रूपये का बैंक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा पीलीबंगा का काटकर अपने हस्ताक्षर कर परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी ने उपरोक्त चैक राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु उक्त चैक को दिनांक 15.12.2015 को बैंक एस.बी.बी.जे., शाखा पीलीबंगा में प्रस्तुत किया, लेकिन उक्त चैक क्लियर नहीं हो सका तथा ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा पीलीबंगा ने दिनांक 15.12.2015 को ही "Account Closed" का नोट लगाकर चैक अनादरित करके वापिस एस.बी.बी.जे., शाखा पीलीबंगा को लौटा दिया, जिसकी सूचना दिनांक 15.12.2015 को ही परिवादी को जरिये मीमो प्राप्त हो गई। चैक अनादरण की सूचना मिलने पर परिवादी ने मुलजिम को एक रजिस्टर्ड ए.डी. विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता की मार्फत दिनांक 26.12.2015 को मुलजिम के सही एवं पूर्ण पते पर भिजवाया, जो अभियुक्त ने दिनांक 29.12.2015 को लेने से इन्कार कर दिया तथा उक्त मूल नोटिस "पाने वाला लेने से इंकार है, वापिस करें" के पृष्ठांकन के साथ वापिस लौटा दिया। अंत में परिवादी ने अभियुक्त का

उक्त कृत्य अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त अपराध में दण्डित करते हुए चैक राशि से दोगुनी राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया। अतः नियमानुसार परिवाद न्यायालय में पेश किया।

3. अभियुक्त के न्यायालय में दिनांक 09.11.2017 को उपस्थित आने पर अभियुक्त को अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट की विशिष्ठियों का आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया व अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादी साक्ष्य के दौरान परिवादी ने मुख्य परीक्षण में अपना शपथ–पत्र पेश किया एवं स्वयं को पीडब्ल्यू–1 सुरेश कुमार के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में चैक प्रदर्श पी–1, चैक अनादरण मीमो प्रदर्श पी–2, चैक अनादरण रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–3, रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श पी–4, विधिक नोटिस प्रदर्श पी–5, नोटिस मय लिफाफा प्रदर्श पी–6, परिवाद पत्र प्रदर्श पी–7 को प्रदर्शित करवाए गए।

5. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होने का कथन करते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा एवं कथन किया है कि ''मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है।''

6. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपनी ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला देते हुए कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक देनदारी हेतु विवादित चैक परिवादी को प्रदत्त किया था। जो भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। जिस पर अभियुक्त को विधिक नोटिस परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया, जिसकी अभियुक्त को जानकारी होने के बाद भी अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाने पर हस्तगत परिवाद पेश किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा समस्त कार्यवाही विहित समयावधि में धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत की गई है। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर परिवादी को बतौर प्रतिकर चैक से दुगुनी राशि अभियुक्त से दिलाई जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त का परिवादी से कोई लेनदेन नहीं है, उसे झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि–

**''आया अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे परिवादी को भुगतान राशि स्वरूप चैक, चैक संख्या 091464 दिनांक 15.12.2015 राशि 9,50,000/–रूपये बैंक**

**ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा पीलीबंगा का स्वयं का हस्ताक्षरशुदा प्रदत्त किया व भुगतान होने का विश्वास दिलाया, जो कि अनादरित हुआ व नोटिस प्राप्ति उपरांत भी अभियुक्त ने विहित अवधि में चैक की राशि का भुगतान नहीं कर धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत अपराध का गठन किया है?**

**यदि हां, तो अभियुक्त को क्या दण्ड दिया जावे? ''**

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है:–

**(क) क्या विवादित चैक विधिक ऋण या दायित्व की अदायगी पेटे परिवादी को अभियुक्त के द्वारा दिया गया था।**

**(ख) क्या अभियुक्त को परिवादी की ओर से अनादरण बाबत् विधिक नोटिस प्राप्त हुआ था।**

**(ग) क्या नियत समय में अभियुक्त द्वारा विवादित चैक की राशि का भुगतान परिवादी को कर दिया गया था।**

**(घ) क्या परिवादी के पक्ष में धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन उपधारणा का सृजन हुआ है।**

**(ड) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन किया गया है।**

11. परिवादी ने स्वयं को बतौर पीडब्ल्यू–1 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया। गवाह पीडब्ल्यू–1 सुरेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में अंतर्गत धारा 145 एन.आई. एक्ट में शपथ–पत्र पेश कर अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–1 लगायत पी–7 प्रदर्शित कराए हैं। जिरह् में मुख्यतः कथन किया कि वह नेहरू को करीब 10 साल से जानता है, उसकी जानकारी केवल नेहरू से है और किसी से नहीं है। उसने मुलजिम को 9,50,000/–रूपये उधार दिये थे। उसने मुलिजम को 9,50,000/–रूपये एक मुश्त नगद दिये थे। रूपये उसने मुलजिम को सितम्बर 2015 में दिये थे, तारीख आज उसे ध्यान नहीं। मुलजिम रूपये घरू खर्च के लिए लेकर गया था। मुलजिम रूपये उसकी दुकान से लेकर गया था, दुकान पर केवल वह अकेला ही बैठता है। उसके अलावा और कोई नहीं बैठता है। उसकी दुकान पर कोई लड़का नहीं रखा हुआ है। उसने रूपये मुलजिम को देने बाबत कोई लिखापढ़ी नहीं की, क्योंकि मुलजिम से उसकी जान–पहचान थी। वह 4–5 दिन में वापिस देने का कहकर ले गया था। इससे पहले मुलजिम उससे कोई रूपये नहीं लेकर गया। मुलजिम खेती करता है, उसके पास जमीन है, जमीन कितनी है, उसे ध्यान नहीं। 5–7 दिन बाद रूपये नहीं देने पर उसने मुलजिम से उक्त रूपये का तकाजा किया तो वह दिसम्बर, 2015 में चैक प्रदर्श पी–1 उसे दे गया। मुलजिम पढ़ालिखा है। उसे पता नहीं कि चैक की इबारत की स्याही व हस्ताक्षर की स्याही अलग–अलग है या नही। अजखुद कहा, होगी, उसे पता नहीं। मुलजिम चैक देने उसे अकेले उसकी दुकान पर आया था। उसके वकील द्वारा उसने विधिक नोटिस मुलजिम को किस तारीख को भिजवाया, आज उसे याद नहीं। उसे पता नहीं मुलजिम को नोटिस मिला

था या नहीं। मुलजिम को नोटिस देने के बाद मुलजिम उसके पास नहीं आया। उसने रूपयों की आयगी बाबत मुलजिम से कोई पंचायत नहीं की। उसका आड़त का कारोबार नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिम की उसके यहां कोई आड़त हो। यह कहना गलत है कि मुलजिम की आड़त उसके यहां हो और उसकी चैकबुक उसके पास हो। उसने मुलजिम को जो रूपये दिये थे वो रूपये उसने दुकान की बही में नहीं लिखे। मुलजिम का इन रूपयों के अलावा उसके साथ कभी लेनदेन नहीं रहा। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम को कोई रूपये ना दिये हों, उसने यह झूठा मुकदमा किया हो।

12. सुविधा की दृष्टि से उक्त समस्त विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त को परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया विधिक नोटिस प्रदर्श पी–5 प्राप्त होने के संबंध में बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त को विधिक नोटिस की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अभियुक्त ने अपितु अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में भी नोटिस प्राप्त होने से इन्कार नहीं किया है, साथ ही बयानों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो पता अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में स्वयं के पते के रूप में अंकित कराया है तथा न्यायालय में प्रस्तुत जमानत–मुचलकों में भी, परिवादी द्वारा उसी पते पर ही नोटिस प्रेषित किया गया है। उसके अतिरिक्त पत्रावली संलग्न अभियुक्त के जमानत मुचलकों में भी अभियुक्त का वही पता अंकित है। उक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि अभियुक्त को विधिक नोटिस उसके सही पते पर प्रेषित किया गया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत C.C.Alavi Haji Vs Palapetty Mohd. & Anr (2007)6 SCC 555 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि–

"*Where the payee dispatches the notice by registered post with correct address of the drawer of cheque the principle incorporated in section 27 of general clauses Act would be attracted; the requirment of clause(b) of proviso to section 138 NI Act stands complied with and cause of action to file a complaint arises on the expiry of period pre-scribed in clause(c) of said proviso for payment by drawer of the cheque.*"

उक्त न्यायिक दृष्टान्त की रोशनी में अभियुक्त को विधिक नोटिस की तामील होना माना जायेगा। अभियुक्त ने चैक पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है, जिससे चैक पर हस्ताक्षर स्वीकृत व निर्विवादित हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में धारा–118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान के तहत चैक प्रतिफलार्थ परिवादी को परिदत्त किये जाने एवं परिवादी के सम्यक् अनुक्रम के चैक का धारक होना तथा धारा–139 परक्राम्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिवादी के पक्ष में विवादित चैक ऋण की अदायगी पेटे विधिक दायित्व की पालना में अभियुक्त द्वारा जारी किये जाने की उपधारणा परिवादी के पक्ष में सृजित की जाती है।

13. निर्विवाद रूप से परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है, जिसे अभियुक्त अपनी ओर से अपना साक्ष्य रख संभावनाओं की प्रबलता की हद तक साबित

कर खण्डित कर सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त– **Basalingappa Vs Mudidasappa, Criminal Appeal No–636 of 2014** से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाना उचित है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिकथित किया है कि–

*1. The Presumption under Section 139 is rebuttable Presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.*

*2. To rebut the presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or accused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise aprobable defence.Inference of preponder–ance of probabilities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which then rely.*

*3. That it is not necessaary for the accused to come in the witness box in support to his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.*

*4. It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence."*

परिवादी का हस्तगत प्रकरण में यह पक्ष है कि उसके द्वारा अभियुक्त को 9,50,000/–रूपये की राशि उधार दी थी, जिसके पेटे विवादित चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिया गया, जबकि अभियुक्त का यह पक्ष है कि परिवादी ने उसके खिलाफ यह झूठा मुकदमा करवाया है, जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये हैं। परिवादी के पक्ष में उपधारणा सृजित होने की स्थिति में अपना पक्ष अधिसंभाव्य की प्रबलता की हद तक साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर (स्वीकृत)/दर्शित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त – **Bir Singh Vs Mukesh Kumar (2019) 4 SCC 197** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि–

*'''If a signed blank cheque is presented to a payee voluntarily, the payee may fill up amount and other particulars. This in itself would not invali–date cheque. Onus will be on accused to prove cheque was not discharge of debt.'''*

इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **APS Forex services pvt.Lt. Vs Shakti International Fashion linker (2020)12 SCC 724** में अभिकथित किया है कि–

*"Where the issuance of the cheque and the signatures are not disputed, the presumptions under Negotiable Instruments Act will kick in and for the proposition and that. it was wrong to shift burden of proving existence of lia–bility on complainant."*

धारा 20 परक्राम्य लिखित अधिनियम व उक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त की परिवादी से कोई लेनदेन नहीं है, परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अपना पक्ष साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। उसके द्वारा यह साबित किया जाना था कि उसके चैक राशि देने का विधिक दायित्व नहीं बनता था।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Kumar Export V/s Sharma Carpets (2009)2 Kumar SCC 513** में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

***"The accused may adduce direct evidence to prove that the note in question was not supported by consideration and that was no debt ot liability to be discharged by his. However the court need not insist in every case that the accused should disprove the non–existence of consideration and debt by leading evidence because the existence of negative evidence is neither possi–ble nor contemplated. At the same time, it is clear that bare denial of the passing of the consideration and existence of debt, apparently would not serve the purpose of the accused. Something which is probable has to be brough on record for getting the burden of proof shifted to the complainant"***

उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा के संबंध में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा मात्र यह कथन करना कि वह किसी विधिक दायित्व अथवा ऋण का अधिकारी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष ऐसी परिस्थितियों अथवा तथ्यों को दर्शित करना होता है, जिससे अभियुक्त के पक्ष में सम्भावना का सृजन हो एवं सम्भावनाओं की प्रतिपादना के आधार पर अनुकूल उपधारणा का खण्डन होता हो। हस्तगत प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य एवं परिस्थितियां सामने नहीं आई हैं, जिससे परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन माना जा सकता हो एवं परिवादी पर सबूत का भार पुनः आता हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का यह अभिमत है कि परिवादी के पक्ष में धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा अखंडित रही है एवं परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु ही प्राप्त किया गया था।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त– **K.N.Beena Vs Muniyappan and Another, 2001(8)SCC 458** के अवलोकन से प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है कि–

*"This Court held that in view of the provisions of Section 139 of the Ne–gotiable Instruments Act read with Section 118 thereof, the Court had to pre–sume that the cheque had been issued for discharging a debt or liability. The said presumption was rebuttable and could be rebutted by the accused by proving the contrary.* ***But mere denial or rebuttal by the accused was not enough.*** *The accused had to prove by cogent evidence that there was no debt or liability.....The accused had to prove in the trial by leading co–gent evidence that there was no debt or liability."*

अभियुक्त **Cogent Evidence** के जरिये अपना पक्ष साबित कर परिवादी की साक्ष्य का खण्डन कर सकता है। परिवादी पक्ष का मात्र **Denial** कर अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन नहीं कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह प्रकट होता हो कि विवादित चैक परिवादी को 9,50,000/–रूपये राशि के भुगतान पेटे नहीं दिया गया। अभियुक्त ने जाहिर किया कि परिवादी द्वारा झूठा मुकदमा बनाया गया है, परन्तु कोई लेनदेन न होते हुए नोटिस मिलने के बाद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई तथा ना ही इस संबंध में परिवादी को कोई नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्रदर्श पी–5 की सूचना होने के बावजूद अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब नोटिस प्रेषित नहीं किया। परिवादी अपना परिवाद युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अभियुक्त परिवादी के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में दोषसिद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–:: आदेश ::–**

16. अतः अभियुक्त **नेहरू पुत्र कुनणाराम, निवासी पीलीबंगा गांव, पुलिस थाना पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(प्रहेलिका, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

**<u>सज़ा के बिन्दु पर सुना गया:–</u>**

17. अधिवक्ता अभियुक्त ने यह निवेदन किया कि अभियुक्त काफी समय से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। मामला सम्मन प्रकृति का है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे।

18. अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह तर्क दिया कि अभियुक्त से चैक राशि प्राप्त करने के लिये परिवादी को न्यायालय में चक्कर लगाने पड़े हैं। समस्त अर्थ–व्यवस्था चैक पर आधारित है, जिस कारणवश चैक की विश्वसनीयता बनाये रखे जानी है। उक्त भुगतान के अतिरिक्त परिवादी को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना आवश्यक है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड़ से दण्डित किया जाकर परिवादी को क्षतिपूर्ति दिलवाई जावे।

19. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा परिवीक्षा अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में विपक्षी को चैक अनादरण के पश्चात् सूचना हेतु एवं राशि की मांग बाबत् विधिक नोटिस प्रेषित इस आशय का किया जाता है कि विपक्षी को एक अवसर अपनी विधिक दायित्व से उन्मोचित होने का मिल सके। विहित अवधि में ऐसा न किये जाने पर ही कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त परिवादी को चैक राशि प्राप्त करने के लिये न्यायालय में आना पड़ा है तथा चैक अनादरण के ऐसे अपराधों एवं समाज व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को

देखते हुये प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**–:: दण्डादेश ::–**

20. अभियुक्त **नेहरू पुत्र कुनणाराम, निवासी पीलीबंगा गांव, पुलिस थाना पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़** को अपराध धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप:–

1. अभियुक्त नेहरू पुत्र कुनणाराम, को 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 17,00,000/– रूपये (सत्रह लाख रूपये) के प्रतिकर से दण्डित किया जाता है, प्रतिकर राशि अदा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त 02 माह का साधारण कारावास मूल सजा कि समाप्ति पर पृथक से भुगतेगा।

2. अभियुक्त द्वारा प्रतिकरण की राशि जमा कराने अथवा वसूल होने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिविजन, प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि परिवादी को दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

3. अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार हो।

4. अभियुक्त ने इस प्रकरण में यदि पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि बिताई हो तो वह मूल सजा में समायोजित की जावे।

5. निर्णय की एक प्रति धारा 363 दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

6. अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(प्रहेलिका, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

21. निर्णय व आदेश आज दिनांक 13.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रहेलिका, आर.जे.एस.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़